तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज गोविन्दराम बनाम सुरजाराम वगै. मुकदमा नंबर /2025 निर्णय दिनांकः	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
13.01.2026	आज यह पत्रावली वादी/प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता कैलाशचन्द सारस्वत द्वारा प्रार्थना पत्र वास्ते पत्रावली पुनः नम्बर पर लेकर अन्तिम डिक्री जारी करनें का पेश करने पर पेशी में ली गई। वादी/ प्रार्थी ने प्रार्थना पेश कर निवेदन किया गया कि उपरोक्त अनवानी दावा वास्ते खाता विभाजन न्यायालय हाजा के समक्ष विचाराधीन था। जिसमे प्रतिवादी संख्या 01 व 2 द्वारा इकबाल जवाब दावा पेश किया गया था एवं बाकी प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही होने के बाद तहसीलदार श्रीडूंगरगढ से मौका पर कब्जा काश्त अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय के समक्ष पेश करनें का आदेश दिया गया था। यह कि तहसीलदार राजस्व श्रीडूंगरगढ द्वारा राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प इन्दपालसर सांखलान में दिनांक 12.06.2018 को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय श्रीमान के समक्ष कैम्प कोर्ट में पेश कर दिया गया था एवं मुताबिक विभाजन प्रस्ताव न्यायालय श्रीमान द्वारा दिनांक 12.06.2018 को ही वादगत पत्रावली का निर्णय कर दिया गया। उक्त आदेश मात्र फर्द अहकाम पर लिखा गया एवं साथ में ही निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर सुनाया गया का आदेश पारित कर पत्रावली दाखिल दफ्तर कर दी गयी परन्तु सहवन से निर्णय व अन्तिम डिक्री नही तैयार की गयी। इस कारण आज दिनांक तक पक्षकारों कि कृषि भूमि का विभाजन नही हो पाया एवं निर्णित पत्रावली निर्णय दिनांक 12.06.2018 अनवानी गोविन्दराम बनाम सुरजाराम पुनः नम्बर पर ली जाकर अन्तिम डिक्री जारी करनें का निवदेन किया गया। हमने वादी/ प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत उनवानी प्रकरण गोविन्दराम बनाम सुरजाराम अन्तर्गत धारा 53 आरटीए के तहत इस न्यायालय में दिनांक 30.09.2013 को प्रस्तुत किया गया था। जिसमें न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 10 को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 की ओर से इकबाली जवाब दावा पेश किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 9 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। स्टेट की ओर से दिनांक 12.06.2018 को तहसीलदार श्रीडूंगरगढ द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है एवं आदेशिका दिनांक 12.06.2018 के द्वारा प्रस्तावनुसार विभाजन किया जाकर निर्णय पृथक से लिखाया जाकर का अंकन किया गया है परन्तु मूल वाद के संलग्न निर्णय एवं अन्तिम डिक्री सहवन से जारी नहीं की गई है। लिहाजा वादी/ प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्रावली को पुनः नम्बर पर दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है एवं तहसीलदार श्रीडूंगरगढ द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव दिनांक 12.06.2018 पर उभयपक्षकरान को किसी प्रकार की आपत्ति नही होने के कारण विभाजन प्रस्ताव अनुसार अन्तिम डिक्री जारी किये जाने का आदेश दिया जाता है। निर्णय आज दिनांक 13.01.2026 को मेरे द्वारा	

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2026.01.21 16:37:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(शुभम शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2026.01.21 10:37:34 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिक्री मुकदमें इन्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री डूँगरगढ

पीठासीन अधिकारी शुभम शर्मा आरएएस

उनवान

1. गोविन्दराम 2. मोटाराम 3. भगवानाराम पुत्रगण रूघाराम जाति जाट निवासी इन्दपालसर हिरावतान तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।

बनाम

1. सुरजाराम 2. भींयाराम 3. लुणाराम 4. प्रभुराम 5. भागीरथ पुत्र/पुत्रियां रामूराम जाति जाट निवासी इन्दपालसर हिरावतान तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर 6. सोना पत्नि धन्नाराम पुत्र अमेदाराम जाति जाट निवासी राजेडू तहसील श्रीडूंगरगढ़ 7. भंवरी पत्नि भैराराम पुत्र लालुराम जाति जाट निवासी सडू तहसील बीदासर 8. गोगा पत्नि पुरखाराम पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी सुडसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ 9. जड़ाव पत्नि देबुराम पुत्र मोटाराम जाति जाट निवासी लालासर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।

मुकदमा नम्बर 05/2026

दावा बाबतः खाता विभाजन

निर्णय दिनांकः 13.01.2026

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलास कतई रूबरू अदालत बहाजरी श्री कैलाशचन्द्र सारस्वत अधिवक्ता मिनजानिब मुदई व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 स्वयं, प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 9 के विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही एवं स्टेट की ओर से पैरोकारराज मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि खेत खसरा नम्बर 6 तादादी 13.37 हैक्टयर वाकेरोही चक इन्दपालसर हिरावतान एवं खेत खसरा नम्बर 123 तादादी 7.26 हैक्टेयर वाकेरोही इन्दपालसर हिरावतान तहसील श्रीडूंगरगढ़ में वादी एवं प्रतिवादीगण का खाता विभाजन निम्नानुसार किया जाता है

प्रस्तावित खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)	किस्म
सुरजाराम, भींयाराम, लूणाराम, प्रभुराम, भागीरथ, सोना, भंवरी, गोगा, जड़ाव पुत्र/पुत्रियां रामूराम जाति जाट ब.हि.ब. सा. देह खातेदार	6 मिन पश्चिमी	6.625 0.06	बारानी गै. मु. रास्ता
मोटाराम पुत्र रूघाराम जाति जाट सा. देह खातेदार	6 मिन मध्य	3.2725 0.07	बारानी गै. मु. रास्ता
भगवानाराम पुत्र रूघाराम जाति जाट सा. देह खातेदार	6 मिन पूर्व	3.2625 0.08	बारानी गै. मु. रास्ता
गोविन्दराम पुत्र रूघाराम जाति जाट सा. देह खातेदार	123 मिन उत्तरी	3.63	बारानी
सुरजाराम, भींयाराम, लूणाराम, प्रभुराम, भागीरथ, सोना, भंवरी, गोगा, जड़ाव पुत्र/पुत्रियां रामूराम जाति जाट ब.हि.ब. सा. देह खातेदार	123 मिन दक्षिणी	3.63	बारानी

नक्शा निर्णय का भाग रहेगा। तहसीलदार, श्री डूँगरगढ तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करें। लीज....0......मुबलिग......0........बाबत......0.........खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह...0..फीसदी सालाना आज को जारी..........तारीख वसूलयाबी.......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज दिनांक 13 माह 01 सन् 2026 को जारी किया गया ।

(शुभम शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
श्री डूँगरगढ

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प	0	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0	2. अर्जी के लिए [illegible]	0
3..प्रदर्शो के लिए स्टाम्प	0	3. प्ली[illegible] फीस	0
4.........रूपये पर प्लीडर की फीस	0	4. साक्षियों के [illegible] निर्वाह भत्ता	0
5.साक्षियों के लिए निर्वाह–भत्ता	0	5. आदेशि[illegible] तामिल	0
6.कमिश्नर की फीस	0	6. कमि[illegible]	0
7.आदेशिका की तामिल	0		
योग	0	योग	0

Signature Not Verified

Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2026.01.21 10:37:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी,
श्री डूँगरगढ

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)